महत्वपूर्ण

सख्या–1589/15–7–18–1(16)/18

प्रेषक,

सन्ध्या तिवारी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊ दिनांकः 12 अक्टूबर, 2018

विषयः–प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद की जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को जन सामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनहित गारण्टी के संबधित सेवाओं को जन सामान्य तक पारदर्शी एवं सहज सुलभ रीति से उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की निम्नांकित 09 सेवाओं को जिन्हें अब तक ऑफलाइन प्रविधि से उपलब्ध कराया जाता रहा है, उन्हें ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को ऑनलाइन प्रविधि से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1–मूल प्रमाणपत्र जारी करने पर निर्णय करना।
2–डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना।
3–मूल अंकपत्र जारी करना।
4–डुप्लीकेट अंकपत्र जारी करना।
5–संशोधित प्रमाणपत्र जारी करना।
6–संशोधित अंकपत्र जारी करना।
7–निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण करना।
8–रोके गये परीक्षाफल का निस्तारण करना।
9–अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल को ठीक करने पर निर्णय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की उक्त चयनित सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई–सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिए यूजर चार्ज आई0टी0 विभाग के नियमों के अनुसार लिये जायेगें।

3– यदि कोई नागरिक सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होगें, किन्तु ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जन सेवा

केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र तथा ई–सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करके वांछित सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिए प्रस्तर–2 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

4– ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आये आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह से वे वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर सीधे आये आवेदनों को प्रोसेस कर रहे हैं।

कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा– जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई–सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा–इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही शीर्ष–प्राथमिकता पर पूर्ण कराते हुये शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सन्ध्या तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई–गवर्नेन्स लखनऊ, उ0प्र0।
3– शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा–जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई–सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियॉ यथा इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी है।
4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
6– एस0आई0ओ0 योजना भवन, लखनऊ।
7– हेड एस0ई0एम0टी0, उ0प्र0।
8– क्षेत्रीय कार्यालय, एन0आई0सी0, लखनऊ।
9– लोक प्रबन्धन अनुभाग–2/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
उप सचिव।